8

सं०सं०–2/पेन–105/2025–

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कमार पाठक,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक / /2026

विषय : **डा० मो० मसीहउद्दीन, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सकरा, मुजफ्फरपुर के पेंशन/उपदान एवं पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि डा० मो० मसीहउद्दीन, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेझा, सकरा, मुजफ्फरपुर के दिनांक–31.01.2026 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप इन्हें अनुमान्य पेंशन/उपदान एवं पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त आदेश इस शर्त्त के साथ प्रदान किया जाता है कि यदि इनके विरुद्ध किसी बकाया राशि/असमायोजित अग्रिम आदि की वसूली का मामला प्रकाश में आता है तो उसकी वसूली नियमानुकूल की जाएगी ।

(3) इस पत्र के साथ निम्नलिखित अनुलग्नक संलग्न हैं :–

(i) पेंशन प्रपत्र दो प्रति में
(ii) संयुक्त फोटो
(iii) हस्ताक्षर का नमूना
(iv) पारिवारिक सदस्यों की सूची
(v) सेवा इतिहास
(vi) वेतन पूर्जा
(vii) दीर्घकालीन बाकी/बेबाकी प्रमाण–पत्र
(viii) विभागीय बकाया रहित प्रमाण–पत्र
(ix) प्रगार रिपोर्ट
(x) कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत मॉग रहित प्रमाण पत्र।

(4) अनुरोध है कि सभी प्रकार के बकाया के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–2/पेन–105/2025– 317(2) पटना, दिनांक 13/2/ 2026

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सकरा, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

साथ ही डा० मो० मसीहउद्दीन का विभागीय बकाया रहित प्रमाण–पत्र सीधे महालेखकार, बिहार को भेजते हुए इसकी सूचना विभाग को भी दी जाय।

प्रतिलिपि : जिला कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/डा० मो० मसीहउद्दीन, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सकरा, मुजफ्फरपुर पत्राचार का पता–न्यू कॉलोनी धरमपुर, वार्ड नं०–27, पो०+थाना+जिला–समस्तीपुर, पिनकोड–848101 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी–03, 09(A), 09(B) एवं 18(A) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/2/26
सरकार के उप सचिव